प्रेस नोट दिनांक 30.03.2025 जनपद फतेहपुर

साइबर क्राइम पुलिस थाना फतेहपुर द्वारा पहचान छिपाकर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर कूटरचित VISA एवं Air Ticket देकर वित्तीय धोखाधड़ी में संलिप्त संगठित गिरोह के एक अभियुक्त को प्रयुक्त मोबाइल फोन आदि सहित किया गिरफ्तार।

साइबर अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी अपराध फतेहपुर के निकट पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना पर छिपाकर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर कूटरचित VISA एवं Air Ticket देकर करीब 06 लाख रूपये की वित्तीय धोखाधड़ी के पंजीकृत अभियोग का साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा सफल अनावरण कर संलिप्त गिरोह के एक अभियुक्त विवेक कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुमार मिश्रा निवासी वार्ड नं. 16 सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल सब्जी मण्डी गौरीगंज, थाना- गौरीगंज जनपद अमेठी को घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों सहित गिरफ्तार कर विधिक क्रम में अभियुक्त को अपराध धारा 318(2), 319(2), 338, 336(3), 340(2), 3(5), 111(4) बी.एन.एस व 66 सी व 66डी आई.टी एक्ट में मा0न्यायालय रवाना किया गया।

अनावरित घटना का विवरण -

दिनांक 07.12.2025 को वादी श्री मो0 तैसीम पुत्र मो0नसीम निवासी ग्राम अकीलपुर ऐराना पोस्ट आलमपुर गेरिया थाना खागा जनपद फतेहपुर द्वारा विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर कूटरचित VISA एवं Air Ticket देकर करीब 06 लाख रूपये की वित्तीय धोखाधड़ी विषयक आरोपों के सम्बंध में दी गयी तहरीर के आधार पर साइबर क्राइम पुलिस थाना पर पंजीकृत अभियोग संख्या 37/2025 धारा 318(2), 319(2), 338, 336(3), 340(2), 3(5), 111(4) बी.एन.एस व 66 सी व 66 डी आई.टी एक्ट बनाम अज्ञात।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक एवं समय-

अभियुक्त विवेक कुमार मिश्रा - महुआ तर चाय की दुकान के पास अंतर्गत थाना चिलुआ ताल जनपद गोरखपुर दिनांक- 30.03.2026 समय 00.58 बजे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम,पता -

1.विवेक कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुमार मिश्रा निवासी वार्ड नं. 16 सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल सब्जी मण्डी गौरीगंज, थाना- गौरीगंज जनपद अमेठी।

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 171/24 धारा 406,420,467,468,471,506 भादवि व धारा 35 आधार कार्ड(वित्तीय और अन्य सब्सिडी,लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण) अधिनियम 2016
2. मु0अ0सं0 37/2025 धारा 318(2), 319(2), 338, 336(3), 340(2), 3(5), 111(4) बी.एन.एस व 66 सी व 66 डी आई.टी एक्ट।

कार्य प्रणाली -

1. अभियुक्त विवेक कुमार मिश्रा एवं सह अभियुक्त आदर्श सिंह एक दूसरे से पूर्व से परिचित तथा कस्बा गौरीगंज के निवासी हैं।
2. अभियुक्तगण विदेश में नौकरी दिलाने हेतु आमजन मानस को सम्पर्क हेतु Google पर wonder tour and travels के नाम से कूटरचित website एवं सम्पर्क नम्बर अपलोड कर सम्पर्क करने वालों को स्वंय को agent बताकर विश्वास में लेकर अपनें आफिस बुलाकर कूटरचित VISA एवं Air Ticket देकर वित्तीय धोखाधड़ी की जाती है।
3. अभियुक्तगण द्वारा विभिन्न कम्पनी / फर्म की GST / लाइसेंस नम्बर का प्रयोग कर Wonder Tour And Travels का प्रमाण पत्र तैयार कर आमजन को विश्वास दिलानें हेतु प्रयोग किया जाता है।
4. अभियुक्तगण द्वारा हर दो से तीन माह में कार्यालय का लोकेशन बदल दिया जाता है ताकि वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार उनकी तलाश न कर सकें।

5. अभियुक्तगण द्वारा क्लाइंट के संपर्क में आनें पर अपनी पहचान एवं नाम पता के सम्बन्ध में कूटरचित / Edited आधार कार्ड/पहचान पत्र प्रस्तुत किया जाता है।
6. अभियुक्त विवेक कुमार मिश्रा उर्फ अरुण उपाध्याय उर्फ नीलेश चौहान उर्फ विनोद शुक्ला आफिस का लोकेशन बदलनें पर अलग-अलग नाम से अपनी पहचान दी जाती है तथा यह प्रश्नगत अपराध में जनपद लखनऊ के थाना विभूतिखण्ड से पूर्व में भी जेल जा चुका है।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद i-Phone 6 E मॉडल
2. एक अदद एण्ड्राइड मोबाइल फोन मॉडल Real Me Narzo

जाँच/गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक मोहम्मद कमर खान, साइबर क्राइम पुलिस थाना फतेहपुर।
2. निरीक्षक श्रीमती विद्या यादव, साइबर क्राइम पुलिस थाना फतेहपुर।
3. मु0आ0 सुमेश कुमार, साइबर क्राइम पुलिस थाना फतेहपुर।
4. हे0का0 अखिलेश उपाध्याय, साइबर क्राइम पुलिस थाना फतेहपुर।
5. का0 अजय कुमार, साइबर क्राइम पुलिस थाना फतेहपुर।